

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: 11.12.2023

फा.सं.7-1/2023-हिं.अ.

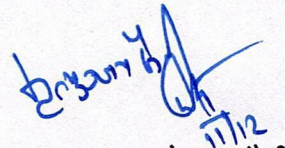
विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को आयोजित हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करने संबंधी।

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 28.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई. 11013/19/2021-हिंदी के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 08.11.2023 को मंत्रालय की अपर सचिव (प्रभारी राजभाषा) महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्थान को प्रेषित किया गया है। इस कार्यवृत्त की मद सं. 5 के बिंदु संख्या 7 और 11 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं:-

1. संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार संबंधी आंकड़ों में लक्ष्यान्तरूप और वृद्धि की जाए।
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास किए जाएं और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का पूरा पालन किया जाए।
3. हिंदी पत्राचार तथा मूल पत्राचार में हिंदी को बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं।
4. हिंदी में सरकारी कामकाज में सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि राजभाषा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो सके।

अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सभी अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में आवश्यक अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।



(मृत्युंजय सैनी)

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:-

- 1 प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)
- 2 प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ
- 3 प्रशासन अधिकारी, आउटसोर्स प्रकोष्ठ
- 4 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ
- 5 प्रशासन अधिकारी, सम्पदा अनुभाग
- 6 प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ

- 7 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ
- 8 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ
- 9 प्रशासन अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ
- 10 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ
- 11 प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ
- 12 लेखा अधिकारी, पेंशन प्रकोष्ठ
- 13 लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
- 14 लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट अनुभाग
- 15 लेखा अधिकारी, ऑडिट अनुभाग
- 16 लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग
- 17 लेखा अधिकारी, एम.एस.यू.
- 18 मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग
- 19 अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग
- 20 प्रभारी अधिकारी, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय
- 21 प्रशासन अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग
- 22 प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग
- 23 प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा
- 24 कुल-सचिव, शैक्षिक अनुभाग
- 25 सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग
- 26 भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)
- 27 प्रशासन अधिकारी, सामान्य अनुभाग
- 28 प्रशासन अधिकारी, अस्पताल
- 29 प्रशासन अधिकारी, डॉ.रा.प्र. केन्द्र
- 30 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र
- 31 प्रशासन अधिकारी, डॉ.बी.आर.अ.सं.रो.कैं.अ.
- 32 प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र
- 33 प्रशासन अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र
- 34 प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद
- 35 प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर

प्रतिलिपि:-

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.
- प्रभारी आचार्य(कंप्यूटर सुविधा)-कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।